

कार्यालयःअसैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी।

निविदा सूचना सं० - 1899

दिनांक - 18.08.2017

अति अल्पकालीन पुर्णनिविदा आमंत्रण सूचना

सदर अस्पताल, खूँटी एवं सर्जनी के अन्य स्वास्थ्य संरथानों/कार्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बेडिंग क्लोथिंग, रेटेशनरी, विद्युत समाग्री, मुद्रण, अग्निशामक यंत्र एवं विविध समाग्री के मदाँ की प्राप्ति हेतु निबंधित निर्माताओं या उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता/एजेंसी/प्रतिष्ठानों जिनकी आर्थिक स्थिति सक्षम हो से निबंधित डाक/स्पीट पोस्ट से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्राप्ति करने का स्थान एवं पता :— सिविल सर्जन कार्यालय, खूँटी।
2. निविदा प्राप्ति करने की अंतिम तिथि :— दिनांक 01.09.2017 को संध्या 05:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :— दिनांक 02.09.2017 को अपराह्न 01:00 बजे।
4. निविदा खोलने का स्थान :— अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय।

निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा के सभी व्यौरे तथा शर्तों सहित निविदा विवरणी सिविल सर्जन कार्यालय, खूँटी के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। जिले के अधिकृत वेबसाइट [http:// Khunti.nic.in](http://Khunti.nic.in) पर देखा जा सकता है।

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी।

निविदा की शर्तें :-

निविदा हेतु बेडिंग क्लोथिंग, स्टेशनरी, विद्युत समाग्री, मुद्रण, अग्निशामक यंत्र एवं विविध समाग्री की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से पाँच सौ रुपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क (Non Refundable) असैनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी के नाम से देकर कार्य अवधि में कार्य दिवस के दिन प्राप्त किया जा सकता है।

2. निविदा दो भाग में देना अनिवार्य होगा। तकनिकी भाग एवं वित्तीय भाग में देना अनिवार्य होगा। निविदाओं के तकनीकी भाग के मुल्यांकन के पश्चात् ही सफल निविदादाताओं के निविदा का मूल्य भाग खोला जाएगा।

(क) तकनिकी भाग:- निम्नांकित दस्तावेज तकनीकी आहर्ता पूर्ण करने के लिए समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- i. आयकर निबंधन प्रमाण पत्र (Pan Card) की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ii. GST निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- iii. बेडिंग क्लोथिंग, स्टेशनरी, विद्युत समाग्री, मुद्रण, अग्निशामक यंत्र एवं विविध समाग्री के निर्माता स्वयं अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं को निर्माता कम्पनी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अनुशांगिक इकाई द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है तथा सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त है एतद संबंधी शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- iv. निविदा के साथ सिविल सर्जन खूँटी के पदनाम से रुपये 25000/- (पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
- v. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) का आयकर प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय भाग :-

- i. निविदादाता सभी समाग्रियों का निर्धारित दर सभी कर सहित अनिवार्यतः अंको एवं शब्दों में टकित होनी चाहिए तथा क्रमवार (इसी क्रम में जो संलग्न सूची में अंकित है) लिफाफे में मुहरबंद कर दिया जाना अनिवार्य होगा। क्रम में किसी प्रकार का विचलन होने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
3. तकनिकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द कर प्रस्तुत करना होगा। इन दोनो लिफाफो को एक तीसरे लिफाफा में मुहरबंद कर जमा किया जाए।
- 4 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा तथा निविदा खोलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात स्वीकार नहीं किया जायेगा। क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के अनुरूप न्यूनतम मात्रा/राशि के आदेश पर आपूर्ति ससमय नहीं करने पर निविदादाता के विरुद्ध अग्रधन की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर कम से कम एक वर्ष अथवा अगले निविदा निकाल जाने तक लागू रहेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को आदेश निर्गत की तिथि से 14 दिनों के अन्दर बेडिंग क्लोथिंग, स्टेशनरी, विद्युत समाग्री, मुद्रण, अग्निशामक यंत्र एवं विविध समाग्री की आपूर्ति निर्दिष्ट स्वारस्थ संस्थान में करनी होगी। जिसमें लिये अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
6. निर्माणकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेंसियों, निविदादाता, द्वारा अंकित दर सभी करों सहित होना चाहिए तथा आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश के अनुसार सामानों को अपने शुल्क पर आदेशित स्थानों पर पहुँचाना होगा एवं आदेशानुसार आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा काली सूची में डालने हेतु कारवाई की जाएगी।

7. निविदा के तकनिकी भाग खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कोई एक उपरिथित रह सकते हैं।
8. बेडिंग क्लोथिंग, स्टेशनरी, विद्युत समाग्री, मुद्रण, अग्निशामक यंत्र एवं विविध समाग्री उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए आपूर्तिकर्ता/एजेंसी/प्रतिष्ठान किसी भी अनियमित कार्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। उसके लिए वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अधोहस्ताक्षरी स्वतंत्र होंगे।
9. मूल सूची में स्पेसिफिकेशन, मेंक, इकाई स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
10. निविदा सिर्फ निबंधित डाक/रपीट पोर्ट द्वारा ही मान्य होगा।
11. कम्पनी/ऐजेंसी किसी भी तरह के अनियमित कार्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी और उसके लिए वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अधोहस्ताक्षरी स्वतंत्र होंगे।
12. वैधानिक मामलों के निष्पादन हेतु न्यायिक क्षेत्र खँटी जिला होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खँटी।